निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

मु0नं0 60/20

निर्णय दिनांकः—18.02.2021

1. मंगेज सिंह दत्तक पुत्र उमराव सिंह आयु 60 साल जाति राजपूत निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

——वादीगण

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र स्व0 जगमाल सिंह आयु 63 साल
2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जगमाल सिंह आयु 56साल
3. जयसिंह पुत्र स्व0 जगमाल सिंह आयु 53 साल
4. बजरंग सिंह पुत्र स्व0 जगमाल सिंह आयु 45 साल
   समस्त जाति राजपूत निवासीयान कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
5. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

——————प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी – श्री सन्दीप मान
प्रतिवादीगण – 1. श्री सुनील कुमार शर्मा
2. श्री मनोज कुमार डिग्रवाल

दावा घोषणा रिकार्ड दुरस्ती एवं विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार है कि गत खसरा न0 42/2 रकबा 9 बीघा 6 बिश्वा, जमीन गत खसरा न0 43 रकबा 5 बीघा 10 बिश्वा, जमीन गत खसरा न0 44 रकबा 8 बीघा 6 बिश्वा, जमीन गत खसरा न0 15 रकबा 19 बीघा 2 बिश्वा, जमीन गत खसरा न0 16 रकबा 12 बीघा 12 बिश्वा कुल किता 5 कुल रकबा 54 बीघा 16 बिश्वा कृषि भूमि वाके सरहद ग्राम कासनी तहत तहसील सूरजगढ़ स्थित है जिसके दौराने भू–प्रबन्ध हाल खसरा न0 23 रकबा 7.09 है0, जमीन हाल खसरा न0 24 रकबा 1.81 है0, जमीन हाल खसरा न0 25 रकबा 3.38 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 13.28 है0 बने है। उक्त हाल खसरा न0 के हाल ख0न0 1013/23 रकबा 1.77 है0, ख0न0 1014/23 रकबा 1.77 है0, ख0न0 1015/23 रकबा 0.01 है0, ख0न0 1016/20 रकबा [illegible] है0, ख0न0 1017/23 रकबा 1.77 है0, ख0न0 24 रकबा 1.81 है0, ख0न0 25 [illegible] 3.[illegible] है0 बने है। उक्त जमीन का पहले खातेदार काश्तकार जगमाल सिंह, उमराव सिंह [illegible] जाति राजपूत थे। इस प्रकार उक्त जमीन में 1/2 हिस्सा जगमालसिंह [illegible] और 1/2 हिस्सा उमराव सिंह काश्त करता था। दोनो का उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दोनो का बराबर हिस्सा दर्ज रहा। उक्त जगमाल सिंह पुत्र अन्ने सिह का देहान्त हो गया उक्त जगमाल सिंह के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादी न01 लगायत 4 पुत्र व स्त्री फुली देवी व एक पुत्री सुप्पयार है। उक्त फुली देवी व सुप्पयार देवी ने अपना हक प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 के हक में छोड़ दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:30:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

उक्त उमराव सिंह पुत्र अन्नेसिंह का देहान्त हो गया तथा उसकी स्त्री श्रीमती मनी देवी का भी देहान्त हो गया। उमराव सिंह व उसकी स्त्री के कोई संन्तान नहीं हुई इस कारण उक्त उमराव सिंह ने व उसकी स्त्री मनी देवी ने अपने भाई जगमालसिंह का पुत्र वादी मंगेजसिह को बाल्यवस्था मे गोद लेने की इच्छा जाहिर की इस पर उक्त जगमाल सिंह व उसकी स्त्री श्रीमती फुलीदेवी ने सहमती दे दी और वादी मंगेजसिंह बालक को उमराव सिंह व उसकी पत्नी के गोद में बैठाकर सम्पूर्ण समाज के समाज के सामने गीविंग व टेंकिग के दस्तुर से गोद लेना स्वीकार किया व उक्त जगमाल सिंह व उसकी स्त्री ने गोद देना स्वीकार किया। इस प्रकार उक्त उमराव सिंह व उसकी पत्नी श्रीमती मनी का विधिक प्रतिनिधि वादी मंगेजसिंह है। वादी मंगेज सिंह के दत्तक पिता उमराव सिंह व दत्तक माता मनी देवी के देहान्त होने पर उनका 1/2 हिस्सा वादी मंगेजसिंह को मिला और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 को बहिस्सा मिला। उक्त वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों से प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 ने मिलकर गलत तरीके से विभाजन करवाकर हाल खसरा न0 23 रकबा 7.09 है0 प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 ने अपने नाम दर्ज करवा ली और जमीन हाल ख0न0 24 रकबा 1.81 है0 व जमीन हाल ख0 न0 25 रकबा 4.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.19 है0 कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज करवा दी । राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों के अनुसार वादी के व प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 के राजस्व रिकार्ड में बराबर हिस्सा दर्ज होने चाहिए था । प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 ने उक्त जमीन में 0.45 है0 राजस्व रिकार्ड मे अधिक दर्ज करवा ली। इस प्रकार उक्त जमीन में कुल रकबा 13.28 है0 मे से वादी के राजस्व रिकार्ड में रकबा 6.19 की जगह रकबा 6.64 है0 दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार जमीन हाल ख0 न0 1013/23 रकबा 1.77 है0, ख0 न0 1014/23 रकबा 1.77 है0, ख0 न0 1015/23 रकबा 0.01 है0, ख0 न0 1016/23 रकबा 1.77 है0, ख0 न0 1017/23 रकबा 1.77 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.09 है0 में वादी रकबा 0.45 है0 का कोटिनेन्स होने से घोषणा करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त गलत राजस्व रिकार्ड वादी के अधिकारों के खिलाफ अवैध व शून्य है और वादी अपने रकबा 0.45 है0 का ख0न0 24 व 25 के सटकर हाल ख0 न0 23 से बने हाल खसरा न0 1013/23, 1014/23 व हाल खसरा न0 1016/23 में काश्त करता है। इसके मुताबिक वादी विधिवत विभाजन करवाने का अधिकारी है। उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरस्त करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 को काफी बार कहा इसके उपरान्त प्रतिवादीगण पहले हॉ करते रहे फिर दिनांक 08.06.2020 को प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 ने वादी को राजस्व रिकार्ड दुरस्त करवाने के लिए साफ मना कर दिया और जमीन खुर्द-बुर्द करने की धमकी दी इस कारण वादी प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त तथ्यों पर दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की सम्मन तलवाना नोटिस भेज कर तामील करवायी गई बाद तामील प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 न्यायालय में उपस्थित आये। और अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दावा पेश करवाकर दावे को डिक्री करने में अनापत्ति जाहिर की वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 बयान चीफ शपथ पत्र पेश किया और अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श 1 लगायत 18 दस्तावेज पेश किये।

वकील वादी व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई वकील वादी ने अपने दावे के तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया और वकील प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 4 में भी दावे की रिलीफ के मुताबिक दावे को डिक्री किये जाने में अनापत्ति जाहिर की । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वाद वादी डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:30:27 IST
Reason: SelfAttested

... अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

आदेश

जमीन हाल खसरा न0 1013/23 रकबा 1.77 है0, 101/23 रकबा 1.77 है0, 1015/23 रकबा 0.01 है0, जमीन हाल ख0न0 1016/23 रकबा 1.77 है0, जमीन हाल ख0न0 1017/23 रकबा 1.77 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 7.09 है0 वाके ग्राम कासनी तहत तहसील सूरजगढ़ में वादी को रकबा 0.45 है0 का कोटिनेन्स (सहआसामी) घोषित किया जाता है और वादी के हाल ख0न0 24 व 25 के सटकर, हाल ख0न0 1013/23, हाल खसरा न0 1014/23 व हाल ख0न0 1016/23 में घोषणा के मुताबिक विभाजन किया जाता है और प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के उक्त हिस्से में दखल अन्दाजी नहीं करें । पर्चा डिक्री मुर्तिब हो तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:30:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

मंगेज सिंह बनाम मखन सिंह

~~84~~ 212 नं. 84 सन् 20

मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
01/21	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। अनावेदकगण जवाब पेश नही करना चाहते। जवाब बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 01-02-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	
1 02/21	वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आइन्दा दिनाक दिनांक 11-02-21 को पेश हो। रीडर	
11 02/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। मनन किया गया। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18-02-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	
18 02/21	पत्रावली पेश हुई। मूल दावा डिक्री किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आ[illegible] का कोई औचित्य नही [illegible] निबेधाना खारीज किया जाता है पत्रावली [illegible]जल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाब्ता दाखील दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:30:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner